कमिश्नर वाणिज्य कर, उार प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उार प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री लाला राम चन्द्र गुप्ता एण्ड संस, 53 / 07, नया गंज, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र सं0 व दिनांक	**09 / 11, 31.01.2011**
प्रार्थी की ओर से	**श्री एस0 के0 अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता।**

उार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री लाला राम चन्द्र गुप्ता एण्ड संस, 53 / 07, नया गंज, कानपुर द्वारा उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें निम्न प्रकार से प्रश्न पूछा गया है:-

WHETHER ADDITIONAL TAX LEVIABLE UNDER THE CENTRAL SALES TAX ACT WHEN THE SALES ARE NOT COVERED BY FORM-C (DECLARATION FORMS) PRESCRIBED UNDER THE ACT.

2. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता-श्री एस0 के0 अग्रवाल उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि केन्दीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-8 (2) में स्पष्ट प्राविधान है कि यदि बिना फार्म-सी कें केन्द्रीय बिक्री की जाती है, तो ऐसे संव्यवहार पर सम्बन्धित राज्य के बिक्रीकर कानून में लागू कर की दर से करदेयता होगी।

उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-4 में कर की दरें प्राविधानित हैं, इसलिए बिना फार्म-सी के केन्द्रीय बिक्री के संव्यवहार पर तदनुसार कर का दायित्व होता है। उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-3ए में अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण का प्राविधान है। यह अतिरिक्त कर, कर की दर का भाग नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना फार्म-सी के की गयी केन्द्रीय बिक्री पर अतिरिक्त कर की देयता नहीं बनती है।

कमिश्नर वाणिज्य कर, उार प्रदेश द्वारा सर्वश्री यूनाइटेड कनसेप्ट्स एण्ड सोल्यूशन प्रा0 लि0, सी-34, सेक्टर-57, नोएडा के मामले में धारा-59 का निर्णय दिनांक 21.06.2010 पारित किया गया है, जिसमें उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (ag) के अन्तर्गत परिभाषित ''टैक्स " में अतिरिक्त कर को सम्मिलित कर लिये जाने का उल्लेख करते हुए बिना फार्म-सी के की गयी केन्द्रीय बिक्री पर उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत प्रदेश के भीतर देय कर के साथ एडीशनल कर भी सम्मिलित रहने का निर्णय दिया है। उसके सन्दर्भ में यह कहना है कि-

the rate of tax has been enumerated in section 4 of the U.P. VAT ACT. The tax and rate of tax are two different things. Tax is that amount which is that quantum which is fixed on an assessee by way of assessment. The inclusion of additional tax in the definition of tax is a media to levy and realize the same by the government over and above the rate on which the goods are taxable.

उक्त से स्पष्ट है कि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-3ए के अन्तर्गत additional tax, उक्त अधिनियम की धारा-4 पर भारित नहीं होगा। कमिश्नर, व्यापार कर, उार प्रदेश के परिपत्र संख्या-

....2

0708005, दिनांक 05.04.2007 व अन्य न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है कि विधायिका के किन्हींa प्राविधानों को सर्वप्रथम स्वाभाविक साधारणतया सर्वगत अर्थ में समझा जाना चाहिए । केन्द्रीय बिकीकर अधिनियम की धारा-8 (2) में प्राविधान है कि-

at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate State under the sales tax law of that State.

इस प्रकार से यह स्पष्ट प्राविधान है कि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 धारा-4 में दिये गये ''कर की दर" के अनुसार बिना फार्म-सी से की गयी केन्द्रीय बिक्री पर करदेयता होनी चाहिए । तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने का अनुरोध किया गया ।

3. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर के पत्र संख्या-4407, दिनांक 16.03.2011 से आख्या प्राप्त हुई । प्राप्त आख्या में कहा गया कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-8 (2) के अनुसार फार्म-सी के अभाव में कर की दर उतनी होगी जितनी राज्य के बिक्रीकर अधिनियम में निर्धारित की गयी है । उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-4 में विभिन्न श्रेणी के माल पर कर की दर जो देय होगी, निर्धारित की गयी है । धारा-3 (ए) में राज्य सरकार को एडीशनल टैक्स लगाने का अधिकार है और उार प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-2 (ag) के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लेवीएबुल टैक्स में निर्धारित किया गया एडीशनल टैक्स भी शामिल है । इसलिए केन्द्रीय बिक्री पर फार्म-सी के अभाव में कर की दर वही होगी जो उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में उक्तानुसार है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में यह कहा गया है कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-8(2)में यह व्यवस्था दी गयी है कि बिना फार्म-सी के केन्द्रीय बिक्री किये जाने की स्थिति में बिक्री के आवर्त पर संदेय कर, उस दर से होगा, जो समुचित राज्य के भीतर ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर लागू हो । इस प्राविधान से यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय बिक्री के ''आवर्त पर संदेय कर का दायित्व '' समुचित राज्य यथा उार प्रदेश वैट अधिनियम के आधीन उद्ग्रहणीय कर से होगा । उतर प्रदेश वेट अधिनियम की धारा-3, धारा-3ए, धारा-4 व धारा-5 में Levy of Tax (कर उद्ग्रहण) प्राविधानित है । इन धाराओं के आधीन उद्ग्रहणी कर को धारा-2 (ag) के अन्तर्गत ''टैक्स'' के रुप में रखा गया है । इस प्रकार से अतिरिक्त कर भी उद्ग्रहणीय टैक्स है, जो धारा-2 (ag) में सम्मिलित है । इसी विधिक प्राविधान के आलोक में, बिना फार्म-सी के की गयी केन्द्रीय बिक्री पर, एडीशनल टैक्स की देयता के सम्बन्ध में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उार प्रदेश द्वारा सर्वश्री हर्ष ट्रेडर्स, 51 / 104, लाल फाटक, शक्कर पट्टी, कानपुर एवं सर्वश्री यूनाइटेड कनसेप्ट्स एण्ड सोल्यूशन प्रा0 लि0, सी-34, सेक्टर-57, नोएडा के मामले में दिनांक 21.06.2010 से निर्णीत किया जा चुका है कि बिना फार्म-सी के की गयी केन्द्रीय बिक्री पर उार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश के भीतर देय कर के साथ एडीशनल टैक्स भी शामिल होगा । अत: तदनुसार उक्त मामले में भी यह निर्णय लागू होंगे ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

....3

वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर की आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। केन्द्रीय अधिनियम की धारा-8 (2) के अनुसार किसी व्यवहारी द्वारा **''आवर्त पर संदेय कर''** वहॉ तक, जहॉ तक आवर्त या उसका कोई भाग उपधारा (1) के अन्तर्गत न आने वाले व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल की बिक्री ''बिना फार्म-सी '' से सम्बद्ध है, उस दर से जो समुचित राज्य के भीतर ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर लागू हो। इस प्राविधान से स्पष्ट है कि बिना फार्म-सी से की गयी केन्द्रीय बिक्री के **''आर्वत पर संदेय कर का दायित्व ''**, समुचित राज्य के भीतर यथा-उ0प्र0 वैट अधिनियम में लागू ऐसी बिक्री के बिन्दु पर, जिस दर से, कर दायित्व है, होगा।

उार प्रदेश वैट अधिनियम के आधीन **कर का दायित्व**, इस अधिनियम के आधीन **उद्ग्रहणीय कर** से है। उार प्रदेश वैट अधिनियम की निम्न धाराओं में उद्ग्रहण निम्नवत् है :----

धारा-3 - कर का भार व उद्ग्रहण

धारा-3ए - अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण

धारा-4 - बिक्री के आवर्त पर कर का उद्ग्रहण

धारा-5 - क्रय के आवर्त पर कर का उद्ग्रहण

उपर्युक्त धाराओं में **''कर का उद्ग्रहण ''** प्राविधानित है। **उार प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-2(ag) के अनुसार ''कर'' का तात्पर्य इस अधिनियम के आधीन समाचार पत्रों को छोड़ कर माल की खरीद या बिक्री या दोंनों, जैसी भी स्थिति हो, ''उद्ग्रहणीय कर'' से है और इसमें धारा-3ए के आधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर भी सम्मिलित है।** इसी आलोक में बिना फार्म-सी के की गयी केन्द्रीय बिक्री पर एडीशनल टैक्स की देयता के सम्बन्ध में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उार प्रदेश द्वारा सर्वश्री हर्ष ट्रेडर्स, 51 / 104, लाल फाटक, शक्कर पट्टी, कानपुर एवं सर्वश्री यूनाइटेड कनसेप्ट्स एण्ड सोल्यूशन प्रा0 लि0, सी-34, सेक्टर-57, नोएडा के मामले में दिनांक 21.06.2010 से यह निर्णीत किया जा चुका है कि बिना फार्म-सी के की गयी केन्द्रीय बिक्री पर उार प्रदेश वैट अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश के भीतर देय कर के साथ एडीशनल टैक्स भी शामिल होगा। पुन: अभिनिर्धारण की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित किया जाताा है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उार उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

ह0/- 26.12.2012

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उार प्रदेश, लखनऊ।